लालसोट जिला दौसा (राज०)

11/7/21 पत्रावली पेश हुई। [illegible]

[illegible]

[illegible] रिकार्ड में दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

Scanned with CamScanner

1रु. कोर्ट फी Rs.1

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :–16/21

रज्जू दिनांक 01–04–2021

पीठासीन अधिकारी

श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

सीताराम बनाम नानगा वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :–

1. श्री हरिनारायण माठा, अनुप माठा एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व 7 की एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 11-7-22

संक्षिप्त मे वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जिसमे अंकित कि प्रार्थी की सहखातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नं. 26 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट मे स्थित है। प्रार्थी अपने हिस्से 1/5 की भूमि पर काविज होकर काश्त कर कर लगान सरकारी का अदा करता आ रहा है। प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 26 के दक्षिण की तरफ प्रार्थी की बुजुर्गान के समय की लगाई हुई करीब 100 वर्ष से भी ज्यादा की पुरानी डोल के बाद अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नं0 316/28 रकबा 18 बिस्वा वाकै ग्राम टोडागांगा है। प्रार्थी की उक्त आराजी खसरा नं0 26 मे प्रार्थी के दर्ज शुदा एवं कब्जेशुदा हिस्से 1/5 एवं दक्षिण की ओर प्रार्थी की डोल से अप्रार्थीगण का कोई संबंध सरोकार वास्ता नही है। प्रार्थी अपने बुजुर्गान द्वारा लगाई गई उक्त डोल से हर साल चारा व पुले काटकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण का कोई कानूनन हक अधिकार हांसिल नही है। अप्रार्थीगण को अपनी सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 26 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 में अपने हिस्से 1/5 पर किसी भी प्रकार से दखलंदाजी करने, जबरन कब्जा करने एवं प्रार्थी की डोल को तोडने से पूले व चारा काटने से अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाए। अप्रार्थीगण ने एकराय होकर दिनां क06–10–2021 को प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजी खसरा नं0 26 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट में प्रार्थी के हिस्से 1/5 पर दक्षिण में स्थित प्रार्थी के डोले से पूले व चारा काटने, डोल तोडने एवं

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

Scanned with CamScanner

डोल तोडकर जबरन कब्जा करने एवं भूमि को अपनी भूमि में मिलाने की धमकी दी। प्रार्थी ने मना किया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ अभद्रता से पेश आए एवं गाली गलौच करने लगे व मारने पीटने करने पर उतारू हो गये एवं प्रार्थी के खिलाफ जाति के संबंध में झूठा मुकदमा करने की धमकी दी। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 बावजुद तामील अनुपस्थित होने से एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमावी जावें।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सूनी गई पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि आराजी खसरा नं0 26 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट जिला दौसा का प्रार्थी रिकार्डेड मुताबिक जमाबन्दी काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए प्रावधानानुसार अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतएव मेरी राय मे अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत आराजी नं. 26 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम टोडागांगा तहसील लालसोट बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के हिस्से 1/5 पर किसी भी प्रकार से दखलन्दाजी करने, जबरन कब्जा करने एवं भूमि के दक्षिण में स्थित प्रार्थी की डोल को तोडने, डोल से पूल व चारा काटने से प्रतिबंधित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 7 मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए ताफैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

निर्णय आज दिनांक 11/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जि0 दौसा
लालसोट जिला दौसा (राज०)